फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री नारायणलाल — विपक्षी :– तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि. — पत्रावली संख्या : 51/23

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 04.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का बंडगांव तहसील भीण्डर की साबिक आराजी नंबर 1330/899 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा जिसके नवीन सेटलमेंट के बाद बने नंबरों का नक्शा ट्रेस में अन्यत्र तरमीम कर दिये जाने से शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का बंडगांव तहसील भीण्डर की साबिक आराजी नंबर 1330/899 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा में नवीन बंदोबस्त के बाद नवीन नंबरों के नक्शा ट्रेस में तरमीम अन्यत्र कर दी गई जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की उक्त साबिक आराजी नंबर 1330/899 के नवीन आराजी नंबर 2360 रकबा 0.5400 हैक्टेयर बने जिसमें खातेदार नारायणलाल, देवीलाल पिता लक्ष्मण अहीर सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में मौके पर कब्जे के रूप में प्रार्थी खातेदारान द्वारा लौहे के टिन शेड द्वारा 100.100 फिट की छाया की जाना बताया जो की आराजी नंबर 2369 के आंशिक भाग रकबा 0.5400 हैक्टेयर पर होना बताया तथा उक्त साबिक व नवीन आराजी नंबर की मौके से जांच में व गत लट्टा शीट में दर्ज लाल स्याही से तरमीम के अनुसार उक्त प्रार्थी खातेदारान का कब्जा होना बताया। आराजी नंबर 2369 वर्तमान में बिलानाम दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा साबिक आराजी नंबर 1330/899 की गत लट्टा शीट में लाल स्याही से तरमीम व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C प्रस्तावित कर आराजी नंबर 2369 रकबा 1.2400 हैक्टेयर पडत में से 2369 मी.रकबा 0.5400 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदारान के नाम एवं शेष 2369/1, 2369/2 एवं 2360 रकबा क्रमशः 0.0900 है., 0.06100 है., 0.5400 हैक्टेयर बिलानाम किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। प्रकरण में नवीन सेटलमेंट के बाद की हुई त्रुटि को न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बंडगांव तहसील भीण्डर की आराजी नंबर 2369 रकबा 1.2400 हैक्टेयर में से आराजी नंबर 2369 मी. रकबा 0.5400 हैक्टेयर प्रार्थीगण नारायणलाल, देवीलाल पिता लक्ष्मण अहीर सा. देह के नाम व आराजी नंबर 2369/1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 2369/2 रकबा 0.06100 हैक्टेयर, 2360 रकबा 0.5400 हैक्टेयर बिलानाम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C अनुसार दर्ज किये जाने व उसी अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Banjara
Date: 2023.09.08 13:35:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।